संख्या- 25/2018/ 1354/अडतीस-7-2018-106नरेगा/2016टीसी

प्रेषक,

विजय बहादुर वर्मा,
उप सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक २० जुलाई, 2018**

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 22/2018/2018/अडतीस-7-2018-106नरेगा/2016 टीसी, दिनांक 18-07-2017 के प्रथम प्रस्तर के छठी पंक्ति के अंक में अंकित धनराशि रूपये 1000/- के स्थान पर रू0 10, 000/- लाख (रूपये एक अरब मात्र) पढा जाय।

केवल उक्त सीमा तक ही उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या- 22/2018/2018/अडतीस-7-2018-106नरेगा/2016 टीसी, दिनांक 18-07-2017 को संशोधित समझा जाय।

भवदीय

विजय बहादुर वर्मा
उप सचिव।

संख्या-26 /2018/1306 (1)/अड्तीस-7-2018 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, एमजीनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार , कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. अपर आयुक्त (मनरेगा/वित्त), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. राज्य योजना आयोग-1/2
11. ग्राम्य विकास अनुभाग-3
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से

विजय बहादुर वर्मा
उप सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।